2.2

संख्या– 913 / III(2)/15–03(मु0घो0लो0)/2014

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 17 मार्च, 2015

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 11 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 11 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 64.00 कि0मी0 तथा लागत ₹ 924.91 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 924.91 लाख (₹ नौ करोड़ चौबीस लाख इक्यानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 11 कार्यो हेतु ₹ 1.10 लाख (₹ एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उपरोक्त के विषय में समय समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

2.2A

शासनादेश संख्याः– 913 /III(2)/15–03(मु०मं०घो०)/2014 दिनांक 17 मार्च, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–502/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा से ठाठ गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	25.49 (₹ 17.55 लाख + ₹ 7.94 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–509/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक–भाबू मोटर मार्ग से ग्राम ववेटा–सुरखाल निरई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	50.98 (₹ 35.10 लाख + ₹ 15.88 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–507/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ़–नाटाडोल मोटर मार्ग के [illegible] मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	25.49 (₹ 17.55 लाख + ₹ 7.94 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–508/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ़–नाटाडोल मोटर मार्ग के कियाल बैण्ड से तल्ला गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	25.49 (₹ 17.55 लाख + ₹ 7.94 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–506/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र [illegible] के अन्तर्गत शहरफाटक से ग्राम [illegible] तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	42.48 (₹ 29.25 लाख + ₹ 13.23 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	[illegible] मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–505/2014 के [illegible] जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र [illegible] के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैती [illegible] के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	25.49 (₹ 17.55 लाख + ₹ 7.94 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
[illegible]	[illegible] मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–504/2014 के [illegible] जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र [illegible] अन्तर्गत निसनी से कत्यारी मोटर मार्ग [illegible] का कार्य। (प्रथम चरण)	2.00	16.99 (₹ 11.70 लाख + ₹ 5.29 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
8	[illegible] घोषणा संख्या–510/2014 के [illegible] अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र [illegible] अन्तर्गत ऐरोली–गोरपटयूड़ी मोटर मार्ग [illegible] कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	50.98 (₹ 35.10 लाख + ₹ 15.88 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

P. [signature]

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा